[30/7/2025]1093

प्रश्न सं. [क्र. 1093]

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट - (क)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1093 (प्रश्नांश - ग) का उत्तर -

निजी पूंजी निवेश के मामलो में नजूल निर्वर्तन निर्देश 2022 के प्रावधान अन्तर्गत भाग "च" की कंडिका क्रमांक 43 की उपकंडिका 1, 2, 3 एवं कंडिका 45 में दिये गये प्रावधान अन्तर्गत, उपकंडिका 2 में उल्लेखित विभागों को, उनकी मांग प्राप्त होने पर, इन निर्देश के अध्याय 2 में विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण किये जाने एवं सम्बंधित विभाग के द्वारा अपनी विभागीय नीति अनुसार निवेशको को भूमि का निर्वर्तन किये जाने का प्रावधान उल्लेखित है।कंडिका 43 (तीन) के अंतर्गत - उप कंडिका 02 में उल्लेखित विभागों द्वारा अपनी विभागीय नीति के अधीन भूमि आबंटन के मामलो को छोड़कर अन्य मामलों में राजस्व विभाग के द्वारा ऐसे निवेशकों को, जो राज्य शासन के किसी विभाग की नीति के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हुए शासकीय भूमि प्राप्त करने के इच्छुक हो, आगामी कंडिका अनुसार प्रारूप 01 में आवेदन करने पर भूमि आबंटन के प्रावधान हैं।

उक्त नियम के अनुक्रम में -

जिला इंदौर, खण्डवा, शाजापुर, विदिशा, राजगढ़, बालाघाट में आवेदन अप्राप्त होने से अन्य संस्था / निजी पूंजी निवेशको को भूमि आबंटन की कार्यवाही नहीं की गई है।

जिला उमरिया, आगरमालवा, नीमच, निवाड़ी, सागर, सतना, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, गुना, अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, मंदसौर एवं ग्वालियर में भूमि आबंटन की जानकारी निम्नानुसार है-

उमरिया - निजी पूंजी निवेशकों के 2022 के 03 प्रकरण एवं शासन को छोड़कर अन्य संस्था के 02 प्रकरण कार्यवाही हेतु प्रचलन में है।

आगरमालवा - जिला आगर मालवा अंतर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 17 जून 2022 के बाद शासन को छोडकर निजी संस्था एकात्म मानव संस्कार समिति मोडी तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा को राज्य नजूल निर्वर्तन समिति के स्वीकृति उपरांत दिनांक 14/02/2025 को आवंटित की गयी। शेष आवेदन पत्रों पर कार्यवाही प्रचलित है।

नीमच - प्रश्नांश (क) में निर्देशों के क्रम में नोटिफिकेशन दिनांक 17 जून 2022 के बाद शासन को छोड़कर अन्य संस्था/निजी पूंजी निवेशको के नीमच जिले कुल 07 आवेदन प्राप्त हुए थे, किंतु पात्रता नही होनें से भूमि आबंटित नही की गई है। शेष प्रश्न शासन स्तर से संबंधित है।

निवाड़ी -जिला निवाड़ी में शासन को छोडकर मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अद्योविकास मंडल को ईडब्ल्यू एस या कमजोर आय वाले व्यक्तियो के लिए आवासीय योजना हेतु 4.000 है भूमि स्थाई पटटे पर आवंटित की गई ।

सागर - प्रश्नांश (क) मे निर्देश के क्रम मे नोटिफिकेशन दिनांक 17 जून 2022 के बाद शासन को छोड़कर सागर जिले में संस्था सरस्वती शिक्षा समिति मोतीनगर जिला सागर को म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के पत्र दिनांक 24.04.2023 के द्वारा मौजा सागर खास में रकबा 23680 वर्गफुट भूमि आवंटित की गई। शेष जानकारी शासन से संबंधित है।

सतना - शासन को छोड़कर अन्य सस्था/निजी पूंजी निवेशको के प्राप्त आवेदन पत्र में भूमि की कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है।

बैतूल - दिनांक 17.6.2022 के बाद प्राप्त भूमि आवंटन के आवेदन पत्रो मे से 05 आवेदन पत्र गुण दोष के आधार पर निरस्त किए गए तथा 06 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त तिथि के बाद किसी भी अन्य संस्था/निजी पूंजी निवेशको को भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

छिंदवाड़ा - प्रश्नांश (क) मे निर्देशो के क्रम मे नोटिफिकेशन दिनांक 17 जून 2022 के बाद शासन को छोड़कर अन्य संस्था को भूमि आवंटित नही की गई है। आवेदक पूर्व संस्थाओ द्वारा जिस भूमियों के आवेदन प्रस्तुत किये गये

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

Scanned with OKEN Scanner

थे वे छोटे झाड़ का जंगल मद में दर्ज होने, रास्ता मद में दर्ज होने, चाहा गया रकबा मौके पर कम होने तथा निःशुल्क आवंटन किये जाने के कारण आवेदक पूर्त संस्थाओं को चाही गई भूमि आवंटित नहीं की गई। पूरक जानकारी परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

धार - नोटिफिकेशन दिनांक 17 जून 2022 के पश्चात अन्य संस्था/निजी पूंजी निवेशकों को भूमि आवंटित नहीं की गई है। नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गुना - 1. भारत बाल कल्याण केंन्द्र समिति महावीर पुरा गुना को कस्बा गुना में दिनांक 10 फरवरी 2023 को 0.627 हे0 भूमि आवंटित की गई। 2. भारतीय जनता पार्टी जिला गुना 6 ए दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली को कार्यालय सभागार सह परिसर हेतु ग्राम नानाखेडी गुना नगर में दिनांक 29 मार्च 2025 को 0.314 हे0 भूमि आवंटित की गई है। उपरोक्त दोनो प्रकरणो में भूमि आवंटित की गई है। शेष में कार्यवाही प्रचलित है।

अनूपपुर - पूंजी निवेशकों द्वारा प्रस्तुत 13 आवेदनों में 01 प्रकरण में भूमि आवंटन की कार्यवाही की गई है, शेष प्रक्रियाधीन है।

अशोकनगर - जिले में अन्य संस्था राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी को जिला कार्यालय भवन निर्माण हेतु न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0119/अ-20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 11/02/2025 से भूमि आंवटित की गई। शेष प्रश्नांश शासन से संबंधित है।

बड़वानी - प्रश्नांश-क के निर्देशों मे नोटिफिकेशन दिनांक 17 जून, 2022 के बाद शासन को छोड़कर अन्य संस्था/निजी पूंजी निवेशकों को 01 प्रकरण में भूमि आवंटित की गई है। शेष शासन से संबंधित।

शहडोल - पूंजी निवेशकों द्वारा द्वारा प्रस्तुत 03 प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

शिवपुरी - शिवपुरी जिले अंतर्गत पूर्त संस्था का कुल 01 आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें भूमि आवंटित की गयी है।

सीधी - प्रश्नांश क में निर्देशों के क्रम में नोटिफिकेशन दिनांक 17 जून 2022 के बाद शासन को छोड़कर अन्य संस्था के आवेदन के मामलों में राज्य शासन की स्वीकृति उपरांत 01 भूमि आवंटित की गई है सीधी जिला अंतर्गत अन्य संस्था/ निजी पूंजी निवेशको से प्राप्त आवेदनों पर शासन के निर्देश अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही प्रचलनशील है

मंदसौर- जिले में प्रत्यक्ष रूप से भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया, किन्तु उद्योग विभाग एवं लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का विधिवत निराकरण किया गया है।

ग्वालियर - प्रश्नांश "क" के क्रम मे ग्वालियर जिले मे 17 जून 2022 के बाद 03 प्रकरणों में भूमि आबंटित की गई है। शेष शासन से संबंधित है।

शेष जिलों की जानकारी निरंक है।

(प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

उप राजस्व आयुक्त

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग